

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुमन देवी

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजनप्राथमिक डिक्री

मुकदमा नम्बर :—125 / 2022 (रामकुमार वगै० बनाम जयलाल वगै०)

निर्णय दिनांक :—28.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.10.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम हंसासरी की सरहद में स्थित भूमि ख०न० 156, 181 कुल किता 2 कुल रकबा 7.57 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 14, 17 व 15, 16 के डबल-डबल इन्द्राज को दुरुस्त कर एक करने का आदेश दिया जाता है तदनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से, प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 (13 लगायत 17) का संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 12 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को 1000/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 (13 लगायत 17) का संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 12 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादीगण द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।



(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,

मलसीसर